

पेज संख्या 1/5  
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2017(प्राथमिक डिक्री)  
अपीलांट

1. अणदाराम पुत्र घीसाराम फौत के कायम मुकाम—  
1/1 लूणाराम पुत्र अणदाराम  
1/2 भाकराराम पुत्र अणदाराम
2. पेमाराम पुत्र घीसाराम फौत के कायम मुकाम—  
2/1 भाकराराम पुत्र पेमाराम
3. उरजा पुत्र घीसा फौत के कायम मुकाम  
3/1 चन्द्राराम पुत्र उरजाराम फौत के कायम मुकाम—  
3/1/1 तुलसी देवी पत्नी चन्द्राराम  
3/1/2 यशपाल पुत्र चन्द्राराम  
3/2 अमराराम पुत्र उरजाराम  
3/3 हडमानराम पुत्र उरजाराम  
3/4 तिजाईदेवी पत्नी उरजाराम
4. मांगीलाल पुत्र भंवर फौत के कायम मुकाम—  
4/1 गुदडराम पुत्र मांगीलाल  
4/2 पप्पूराम पुत्र मांगीलाल  
4/3 सुखली पत्नी मांगीलाल
5. दीनाराम पुत्र भंवरराम
6. सुवटी पत्नी भंवरराम जातियान जाट, निवासीगण आ.कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. गोपाराम पुत्र निहालराम फौत के कायम मुकाम—  
1/1 भंवरीदेवी पत्नी गोपाराम  
1/2 मुन्नराम पुत्र गोपाराम  
1/3 पुरखाराम पुत्र गोपाराम
2. शिवकरण पुत्र निहालराम फौत के कायम मुकाम—  
2/1 बाबूदेवी पत्नी शिवकरण  
2/2 महेन्द्र पुत्र शिवकरण
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली
4. गुमना पुत्र भागु फौत के कायम मुकाम—  
4/1 गुदडराम पुत्र गुमनाराम  
4/2 धन्नाराम पुत्र गुमनाराम  
4/3 मीरादेवी पत्नी गुमनाराम
5. मदन पुत्र भागु
6. दीनाराम पुत्र भागु फौत के कायम मुकाम —

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

- 6/1 महेन्द्र पुत्र दीनाराम  
6/2 बादरराम पुत्र दीनाराम  
6/3 सेणीदेवी पत्नी दीनाराम जातियान जाट, निवासी आ. कालू  
तहसील जैतारण जिला पाली।

अपील संख्या : 03/2017(अन्तिम डिक्री)  
अपीलांट

1. अणदाराम पुत्र घीसराम फौत के कायम मुकाम—
  - 1/1 लूणाराम पुत्र अणदाराम
  - 1/2 भाकरराम पुत्र अणदाराम
2. पेमाराम पुत्र घीसराम फौत के कायम मुकाम—
  - 2/1 भाकरराम पुत्र पेमाराम
3. उरजा पुत्र घीसा फौत के कायम मुकाम
  - 3/1 चन्द्राराम पुत्र उरजाराम फौत के कायम मुकाम—
    - 3/1/1 तुलसी देवी पत्नी चन्द्राराम
    - 3/1/2 यशपाल पुत्र चन्द्राराम
    - 3/2 अमराराम पुत्र उरजाराम
    - 3/3 हडमानराम पुत्र उरजाराम
    - 3/4 तिजाईदेवी पत्नी उरजाराम
4. मांगीलाल पुत्र भंवर फौत के कायम मुकाम—
  - 4/1 गुदडराम पुत्र मांगीलाल
  - 4/2 पप्पूराम पुत्र मांगीलाल
  - 4/3 सुखली पत्नी मांगीलाल
5. दीनाराम पुत्र भंवरराम
6. सुवटी पत्नी भंवरराम जातियान जाट, निवासीगण आ.कालू, तहसील  
जैतारण, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

1. गोपाराम पुत्र निहालराम फौत के कायम मुकाम—
  - 1/1 भंवरीदेवी पत्नी गोपाराम
  - 1/2 मुन्नराम पुत्र गोपाराम
  - 1/3 पुरखाराम पुत्र गोपाराम
2. शिवकरण पुत्र निहालराम फौत के कायम मुकाम—
  - 2/1 बाबूदेवी पत्नी शिवकरण
  - 2/2 महेन्द्र पुत्र शिवकरण
3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली
4. गुमना पुत्र भागु फौत के कायम मुकाम—

- 4/1 गुदडराम पुत्र गुमनाराम
- 4/2 धन्नाराम पुत्र गुमनाराम
- 4/3 मीरादेवी पत्नी गुमनाराम
5. मदन पुत्र भागु
6. दीनाराम पुत्र भागु फौत के कायम मुकाम –
  - 6/1 महेन्द्र पुत्र दीनाराम
  - 6/2 बादरराम पुत्र दीनाराम
  - 6/3 सेणीदेवी पत्नी दीनाराम जातियान जाट, निवासी आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-



1. श्री दिनेश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोजेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 की ओर से

—: निर्णय :-


दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोजेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2012 बउनावान गोपाराम वगैरा बनाम अणदाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद मौजा बस्सी पटवार मंडल आ. कालू-द्वितीय, तहसील जैतारण में खसरा नंबर 1519 रकबा 142.05 बीघा किस्म बरानी के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषणा एवं वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा की इस्तदुआ चाही। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री राजस्व केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय आनंदपुर

कालू में पारित की गई है। जिसमें विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपील रिमांड फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद मौजा बस्सी पटवार मंडल आ. कालू-द्वितीय, तहसील जैतारण में खसरा नंबर 1519 रकबा 142.05 बीघा किस्म बारानी के संबध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं वादग्रस्त आराजी में कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा की इस्तदुआ चाही। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री राजस्व कैम्प कोर्ट में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment"The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a



राजस्थान न्यायालय  
जयपुर

termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat "इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरुद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2012 बउनावान गोपाराम वगैरा बनाम अणदाराम वगैरह में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.09.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली